(5)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
13/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादीगण उपस्थित। वादी/पैरोकार सरकार अनुपस्थित। राजहित में एक अंतिम अवसर दिया जाता है; अन्यथा प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जावेगा। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थनापत्र O7R11 CPC अंतिम अवसर दि॰ 18/11/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)	[signature] [signature]
18/11/25	पत्रावली पेश हुई। वादी पैरोकार सरकार पुनः absent। तीन बार रुक रुक कर आवाज दी गई फिर भी कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। मौखिक रूप से भी सूचना दी गई फिर भी absent। विगत 06 तारीख पेशियों से भी लगातार absent चल रहे है। राजहित की पैरवी के इच्छुक नहीं होना जाहिर होता है। वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी को लगातार 07 पेशियों से absent रहने पर भी अदम हाजिरी, अदम पैरवी में dismiss नहीं [illegible] आपत्ति की और [illegible] विरुद्ध होने का [illegible] अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा prem Kishore V/s Bhram prakash (2023), Sureshchandra N. patel V/s State of Gujarat मामले में तथा Jinnatul-NISA V/s ADJ pratapgarh (2017) मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने /	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:34:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

माननीय केरला उच्च न्यायालय द्वारा K.P. Ahmed Kunji v/s Sheela pradeepan (2021) मामले में एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा J.C. Madan v/s Supreme Court Bar Association (2015) मामले में अभिनिर्धारित किया है कि " A suit can be dismissed for default if the plaintiff does not appear when the suit is called for hearing. The dismissal for default signifies that the plaintiff has shown a lack of interest in prosecuting the suit which can lead to a final order of dismissal."

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी पीराबाई सरकार बाद अंतर्गत आदेश 9 नियम 8 CPC (non appearance of plaintiff) में खारिज किया जाता है। खारिजी फैसला शुमार होकर मिसल के कम होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

सत्यमेव जयते

18/11/25

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:34:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner